कार्यालय आयक्त उच्च शिक्षा म. प. भोपाल

	(5) deliberia 243/16
विष	त्यः— न्यायालयीःन प्रकरण डब्ल्यू पी. क. २.उ.८६/१६ (एस) ५१० ३४० ४४४। ४१४१० ४४४। ४१४१० ४४४। ४४४। ४४४।
	प्रकरण में प्रान्धार्ग, शा. भी. भी. १९८० में १८८० में १८
12/10	अध्यान किया महादय हुई स्वाद (स्वाद) महादय क्षात्र के स्वाद के स्व
	वि. क.अ.(न्या प्रकोष्ण) रिक्क (१७०)

France 24/82/16

45210

कार्यालय, आयुक्तं, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

	पंजी ब मांच 243 2016
	न्यायालकीन प्रकार के कि वर्ष
	न्यायालयीन प्रकरण डब्ल्यू पी. क. 2386 16 (एस) 510 31 जुआ
	218 - 17. प्रसापनेशास्त्र 21175 Sto 31 न्युभा
	सचिव मध्यप्रदेश शासन उशि विभाग के आदश क्रमान
	विनादा में अतिरिक्त संधालक / प्राचार्य
1	
	भ भुका है। कृषया प्रतिरक्षण आर्जेश जारी करने देत नक्ती क्रिक है
1	The state of the s
	THE DIST. THE G. TO THE SHIP STORES
1	बी.फे. चार्रास्था
1	ायुक्त / अधिव महादय विक श
l	Me farm
	7 dates 3 3 pt Contract to the State of the
	THE STREET STREET
	A A A STATE OF THE
1	

Courtalpur

पृष्ठ क्र.... 🗟

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. . रे.५.३ शा. १०३१ छ । १३०१६

विषय:- क्यायासकील अतरा क्रिकेड WP 2386 2016 की क्रिका समि र्यहामड प्राह्मापड - एमायमबारम् द्या . कल्मा महाविद्यावम् रेगार विरुद्ध शासन क्रियमा भूव पूटन कुमांड । पर जायमत महोदल किरीय जितां व 17.2.2016 अनुसाट विकासित अन्या में संमीतित पुत्रका आभी जित्वारी अतिरिक्त संवासन उत्य शिक्षा सागद सेमाग मागर के 010 अपटेश की रवटक अपटा डक्याकरात अरहते OIC fraglas स्वाद - प्रति हस्ताक्षरीय करना-पारी 22/02/16 03/03/16 Omy (175 496-97 9/3/16

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म. प्र. भोपाल

पंजी क्रमांक. 243 211 00 5 16

विषय:- अमामालायां पुद्रश्त क्ष्मां WP दे 386 2016 का अनुमा अभि व्यवायत नाहमायत - रशामनशास्त्र द्वासनीय करमा महावि. Mark Lared 31184 / 42(1) H. 12-UA = 1140 (40)W2 4-11214 (40)13 वा अो अोडियो जी जानाया जा न्या प्रतिसम् हेनु । विभि विभाग के ड्याँनिन १००१ न्यार्टी Thyon de seal paper ans st 32/00 5(1) -410) 10/03/16 Smy To Lifus उमाकान्त उत्तराव सचिव / आयु वत मृत्र. शासन, उच्च शिक्षा विषय KIEZ

र्यालय-क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा, जबलपुर- संभाग,जबलपुर

क्रमांकः 223 /विधि प्रकोष्ठ/16,

जबलपुर, दिनांक 5 फरवरी, 2016

प्रति.

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-न्यायालयीन प्रकोष्ठ, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, तीसरी मंजिल,

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WP-2386/2016 डॉ0 अनुभा शर्मा, सहायक विषय :-प्राध्यापक- रसायनशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सागर विरुद्ध शासन।

विषयान्तर्गत न्यायालयीन प्रकरण में शासन की ओर से जवाबदावा दाखिल

प्रकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :-

1. प्रकरण क्रमांक

: WP-2386/2016

2. याचिकाकर्ता का नाम

ः डॉ० अनुभा शर्मा, सहायक प्राध्यापक– रसायनशास्त्र,

शासकीय कन्या महाविद्यालय, सागर

3. प्रकरण का विषय

: आपाती सेवा जोडने बावत्।

4. प्रकरण का संबंध

: शासकीय महाविद्यालय,

5. संभाग

: सागर संभाग

6. प्रस्तावित प्रकरण प्रभारी

ः प्राचार्य, शासकीय पी.जी. कन्या महाविद्यालय,

सागर ।

कृपया शीध्र प्रकरण प्रभारी आदेश जारी कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्न :- याचिका की प्रति ।

अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, जबलपुर-संभाग जबलपुर

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

Writ Petition No. 2386 /2016

PETITIONER

Dr. Anubha Sharma, W/o Shri Santosh Kumar Sharma, aged about 56 years, Assistant Professor (Chemistry), Government Girls College Sagar, Distt. Sagar (M.P.).

VERSUS

RESPONDENTS

- State of Madhya Pradesh, through Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Department of Higher Education, Vallabh Bhawan Mantralaya, Bhopal (M.P.).
- Commissioner of Higher Education Government of Madhya Pradesh, Satpuda Bhawan, Bhopal (M.P.).
- The Principal, Government Girls College Sagar, Distt. Sagar (M.P.).

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

 Particulars of the Cause/order against which the petition is made:

(i) Date of Order

Nil.

(ii) Passed in Order No.

Nil

(iii) Passed by

Nil.

मध्य रदेश शासन उच्च शिक्षा विमाग पंत्रालय

क्मांक 446 /243/3िशिविशियां क्या प्राप्त विशेष क्यापाल किलांव व 3 16 सिविल प्रक्रिया सहिता 1990 (1908 का अहि कतम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस नियम-1 तथा -। अधीन शक्तिरां का प्रयोग करते हुए जिस्सिता से आपका प्रदेश जिस्ता स्मागर संभाग

सागर (अ. फ.) को याचिका कमांक ШР. 2386 2016

(पक्षकारों के नाम) डी अलुआ शामा सहायु पाहारापद रसायलशास्त्रशास्त्रशास्त्रभा

क्रमा महाविकालम सागर विरुद्ध शासन के मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसके और सं प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनांक पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा इन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्व विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरसायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति तुरन्त पश्चात् वादों में ऐसी स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं,

1/ प्रभारी आधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा की आवश्र कता हो, आर याचिका ने उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिस्थित जानकारी देते हुए जिसरे कि मामले के संचालन में विधिक/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचेगी, रिपोर्ट तैय र करेगा । यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया हो तो उसे विभाग की रि गेर्ट में विनिर्दिग्ट किया जारोगा ।

- समरत सुर गत फाइलें, दस्तावेज, नि उम अधिसूद्यमा तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- उक्त रिपो तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।
- शासकीय ाधिवक्ता की सहायता से लिखित / कथन उत्तर तैयार करवाएगा ।
- महत्वपूर्ण / नीतिगत प्रकरणों में तैयार किये गये लिखित / कथन या उत्तर 5/ विभागीय/प्रशासकं य अनुमोदन हेतु निम्नानुसार भेजेगा:-

वाद / पत्र की एक प्रति के साथ प्रकरण तथा लिखित कथन की संक्षेपिका । 2/

प्रस्तावित लिखित कथन का प्रारूप ।

उन सभी दस्तावेजों की सूची तथा प्रतिलिपि जिन्हें साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

मामले विश्दीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों में बाद की सारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

6/ मामले की तैयारो और संचालन में शासकीय अधियक्ता का सहयोग करना और मामले के प्रकम आर सबंधित नियमों में किये परिवर्तन से स्वयं को सदैव अबगत रखेगा ।

जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। विधि विभाग एवं प्रशासकीय विभाग को सूचित करना तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करेगा ।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाहं। करने के लिये इस विभाग को भेजेगा ।

- 9 / . यह देखना कि आवेदन करने, प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने ,रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त े करने और उसकी सूचना देने में अनावश्यक समय नष्ट न हों ।
- 10/ जैसे हैं। उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है, यह अई शासकीय पत्र के भाष्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद भार देने के पश्यात की तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुवत नहीं कर दिया जाता है।
 - 11 / प्रभारी अधिकारी मामलों को तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव भद्द /सहयोग करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि बाद के लिये उत्तरदायी कोई महत्वपूर्ण तथ्यात्मक दस्तावंज अप्रकटित नहीं रह जावे ।
 - महत्वपूर्ण / नीतिगत मामलों में निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।
 - 13 / जिन प्रकरणों में माननीय मुख्य सचिव, को पहकार बनाया गया हैं, ऐः मामलों में पाननीय मुख्य सचिव, का नाम विलोपित करने हेतु न्यायालय के समक्ष शीघाति गेघ्र आवेदन इप्यर कर विलोगित करवाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम न तथा आदेशानसार

ि मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा दिगाग मंत्रालय, मोपाल पुरुष्क 497/24 जिलादि / यंत्रास्य / ज्याप्र अगः 2016 भोपात, दिनांक 4 3

महावियवता, उच्च न्यायालय महारा जयलपुर / इन्दोर / ग्वालियर संमान न.प्र. की और ! प्रमुख सचित. भाराप्रदेश शासन विधि और विधार्थ कार्य विभाग विध्याचन भवन भोपाल

संबंधित जिलाध्यक सारा 1/31/18 सिनाय प्रमाय प्रमा कामा सामर संभाग सामार (11.5). प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित । साध ही शास ग्रीय अधिवक्ता से सन्मर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्ति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा आली प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मागलें में अपनी प्रग ते रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव है। भेजना चाहिये वाद पर की प्रति इस

सुनवाई हेतु नियत की गई थी / हैं । 5/ क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक , उच्च शिक्षा जिलापुर अनेना जिलाकुर

की और स्वनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रतिसिद्धः-

मध्यप्रवेश शासन, उच्च शिक्षा दिव

मंत्रालय, भोपाल